2

निर्वाचन प्रणाली : अर्थ, प्रकार तथा कार्यविधि (भारत एवं अमेरिका के विशेष संदर्भ में)

[ELECTORAL SYSTEM : MEANING, TYPES AND WORKING (WITH THE SPECIAL REFERENCE TO INDIA AND USA)]

एक सफल लोकतंत्र के लिए यह अति आवश्यक है कि राज्य की जनता की शासन के कार्यों में पूर्ण रुचि एवं सहभागिता हो। प्रजातंत्र शासन प्रणाली को एक आदर्श शासन प्रणाली मानने का प्रमुख आधार भी यही है। जनता की सहभागिता होने से शासन कार्य जनता की इच्छा एवं हितों के अनुरूप होगा तथा जनता सुखी एवं संतुष्ट होगी। यही लोकतंत्र की सफलता का सार है।

आधुनिक काल के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन नहीं करती है, अपितु उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालन किया जाता है जिनके लिए कहा जाता है कि ये प्रतिनिधि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व के प्रजातांत्रिक राज्यों में केवल स्विट्जरलैंड ही ऐसा एक देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व है।

निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जनता के द्वारा शासन संचालन हेतु अपने प्रतिनिधियों को एक निश्चित समयावधि के लिए चुना जाता है। प्रत्येक देश में नागरिकों की एक आयु-सीमा निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्वाचन अर्थात् मत देने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति को 'निर्वाचक' (Elector) तथा निर्वाचकों के समूह को 'निर्वाचक मंडल' (Electoral Board) कहा जाता है। निर्वाचन की प्रक्रिया 'निर्वाचन प्रणाली' (Electoral system) कहलाती है।

निर्वाचन प्रणाली के प्रकार

(TYPES OF ELECTORAL SYSTEM)

आधुनिक लोकतान्त्रिक देशों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके शासन की विभिन्न लोकप्रिय संस्थाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। प्रतिनिधियों को चुनने की मुख्य प्रणालियाँ निम्नांकित हैं–

I. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली (Direct and Indirect Election System)

प्रत्यक्ष व निर्वाचन प्रणाली–जब मतदाता प्रत्यक्ष ढंग से मतदान में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो उसे **'प्रत्यक्ष निर्वाचन'** कहा जाता है। यह निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक सरल है। इसमें प्रत्येक मतदाता स्वयं निर्वाचन केन्द्र पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना मत देता है। मतगणना में जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त होते हैं, वही विजयी घोषित किया जाता है। आधुनिक युग में यही प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के निम्नांकित गुण हैं–

1. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में देश की जनता को स्वयं अपनी इच्छानुसार प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर प्राप्त होता है। अत: यह प्रणाली लोकतन्त्र के अधिक अनुकूल है।

2. प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करता है। प्रत्येक मतदाता यह जानता है कि उसके मतों से ही प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अत: वह मतदान से पूर्व प्रतिनिधियों और उनके दलों की

अच्छाई-बुराई को भली-भाँति
राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है।

3. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत जनता का अपने प्रतिनिधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बना रहता है। प्रतिनिधिगण स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझते हैं। अत: वे जनता के अधिकाधिक कल्याण के लिए कार्य करने का प्रयत्न करते हैं।

4. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जनता का अपने प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क बना रहता है। अत: वे अपने प्रतिनिधियों को अपनी इच्छा, कठिनाइयों तथा समस्याओं का स्वत: ज्ञान करा सकते हैं।

5. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जनता यह अनुभव करती है कि वह भी देश के प्रशासन व राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भागीदार है। इससे उसमें आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत होती है।

6. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में मत देने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। अत: उनके मतों को धन अथवा अन्य अनुचित साधनों द्वारा विचलित करना सम्भव नहीं हो सकता। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की सम्भावना बहुत कम हो जाती है।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के निम्नांकित दोष हैं—

1. सामान्य मतदाता प्राय: इतना अधिक योग्य नहीं होता है कि वह अपने मतों का उचित प्रयोग कर सके। अत: ऐसे लोगों द्वारा दिये गये मतों से अयोग्य व्यक्तियों के चुने जाने की अधिक सम्भावना रहती है।

2. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में मतदाता के भ्रमित होने की अधिक आशंका रहती है क्योंकि राजनीतिक समस्याओं से अनभिज्ञ होने के कारण तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के धुआँधार प्रचार के कारण जनता सही स्थिति का आंकलन नहीं कर पाती है और वह क्षणिक आवेश में आकर अपने मत का प्रयोग करती है।

3. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत विशाल होता है जिससे मतदाताओं और प्रत्याशियों का सम्पर्क आसानी से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जनता राजनीतिक दलों के प्रचार के दबाव में अपने मत का प्रयोग करती है जो कि उचित नहीं है।

4. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में आर्थिक साधनों का बहुत अधिक अपव्यय होता है। प्रत्याशियों को मतदाता से सम्पर्क करने तथा अपने प्रचार करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए, निर्धन व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ना सम्भव नहीं हो पाता और चुनाव पूँजीपतियों का खेल बन जाता है।

5. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में प्रत्याशी मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए अनुचित उपायों का प्रयोग करते हैं जिससे भ्रष्टाचार फैल जाता है।

6. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में योग्य व्यक्ति धन की कमी, दलबन्दी तथा भ्रष्टाचार के कारण उम्मीदवार बनना पसन्द नहीं करते हैं जिससे देश योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जाता है।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली—जब मतदातागण कुछ मध्यवर्ती निर्वाचकों का चुनाव करते हैं और ये मध्यवर्ती निर्वाचकगण प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो इस प्रकार के निर्वाचन को **'अप्रत्यक्ष निर्वाचन'** कहा जाता है। **'अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली'** के अन्तर्गत पहले मतदातागण निर्वाचक मण्डल को चुनते हैं और यह निर्वाचक मण्डल प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। उसमें मतदाता प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसा करता है।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के गुण (Merits of Indirect Electoral System)

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दोहरे चुनाव की प्रणाली है। इसके निम्नांकित गुण हैं—

1. जब प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र का आकार विशाल होता है तो वहाँ **'प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली'** को अपनाना सम्भव नहीं होता। बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली उपयोगी होती है।

2. अप्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं वरन् निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिससे योग्य व्यक्तियों के चयन की सम्भावना बनी रहती है।

3. अप्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाताओं की संख्या कम होती है तथा मतदाता शिक्षित व राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होते हैं, अत: वे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के प्रलोभनों का शिकार नहीं होते हैं।

4. अप्रत्यक्ष
राजनीति के कुप्रभ
5. अप्रत्यक्ष
अत: अप्रत्यक्ष नि
6. जिन रा
अधिक उपयोगी ह
अधिक सम्भावना
अप्रत्यक्ष निर्वाच
अप्रत्यक्ष नि
1. लोकत
अवसर प्राप्त होने
2. अप्रत्य
निर्वाचक मण्डल
नीतियों तथा कार्य
प्रशिक्षण प्राप्त न
3. अप्रत्य
साधनों का प्रभाव
4. अप्रत्य
देश की राजनीति
II. बहुल तथा
मतदान के
आवश्यक है कि
पर एक से अधि
प्रकार की मतदा
बहुल मत
मत देने का अधि
के रूप में, निर्धा
मत देने का अधि
गुणवत्ता
को, उसी दृष्टि
ने कहा है कि वि
प्रणाली लोकतन्त्र
अधिक आवश्यक
समय में इस प्रण
III. खुली तथा
साधारणत:
'खुली मत
को अपना मत देने
अपनाना उपयोगी
'गुप्त मतदा
जाता है। एक तरी
पसन्द के उम्मीदव

5. अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में प्रचार एवं निर्वाचन सम्बन्धी अभियानों में धन का व्यय नहीं करना पड़ता, अतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन एक मितव्ययी प्रणाली है।

6. जिन राज्यों में अधिकांश मतदाता अशिक्षित तथा पिछड़े होते हैं, वहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ही अधिक उपयोगी होती है क्योंकि उनके द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किये जाने की अधिक सम्भावना रहती है।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के दोष (Demerits of Indirect Electoral System)

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के निम्नांकित दोष हैं—

1. लोकतन्त्र की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिक-से-अधिक अवसर प्राप्त होने चाहिए किन्तु अप्रत्यक्ष निर्वाचन में उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है।

2. अप्रत्यक्ष निर्वाचन में सारी जनता निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। अतः राजनीतिक दलों द्वारा केवल निर्वाचक मण्डल के सदस्यों से ही सम्पर्क स्थापित किया जाता है। जनता को विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों एवं राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता।

3. अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की संख्या कम होती है। अतः उन पर भ्रष्ट साधनों का प्रभाव हो सकता है।

4. अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता को स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं होता है जिससे वह देश की राजनीतिक समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाती है जो लोकतन्त्र के लिए घातक है।

II. बहुल तथा गुणवत्तापूर्ण मतदान प्रणाली (Plural and Weighted Ballot System)

मतदान के विषय में अनेक विचारकों का यह मत है कि शासन की सफलता व उत्तमता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक मत देने का अधिकार ही नहीं वरन् विशेष योग्यता के आधार पर एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस विचार को कार्य-रूप में परिणित करने के लिए दो प्रकार की मतदान प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है—बहुल मतदान प्रणाली, तथा गुणवत्तापूर्ण मतदान प्रणाली।

बहुल मतदान प्रणाली—बहुल मतदान प्रणाली में एक व्यक्ति को उन सभी निर्वाचनक्षेत्रों में पृथक्-पृथक् मत देने का अधिक प्राप्त होता है जिनमें उसकी सम्पत्ति स्थित होती है। व्यक्ति को निर्धारित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में, निर्धारित कर देने वाले के रूप में, तथा निश्चित स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के रूप में पृथक्-पृथक् मत देने का अधिकार होता है।

गुणवत्तापूर्ण मतदान प्रणाली—इस प्रणाली में शिक्षा, आयु, सम्पत्ति में अधिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को, उसी दृष्टि से कम योग्यता वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। मिल ने कहा है कि विद्वान या योग्य लोगों को एक से अधिक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। मतदान की यह प्रणाली लोकतन्त्र के प्रतिकूल है। निर्धन व्यक्तियों को धनी व्यक्तियों की अपेक्षा इस प्रकार के संरक्षणों की अधिक आवश्यकता होती है। यह प्रणाली वर्ग-शासन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, इसीलिए वर्तमान समय में इस प्रणाली का प्रयोग समाप्त होता जा रहा है।

III. खुली तथा गुप्त मतदान प्रणाली (Open and Secret Ballot System)

साधारणतः मतदान की दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं—(1) खुली मतदान प्रणाली तथा (2) गुप्त मतदान प्रणाली।

'खुली मतदान प्रणाली' के अन्तर्गत मतदाता बैठकों में एकत्रित होते हैं तथा हाथ उठाकर प्रतिनिधियों को अपना मत देते हैं। जिन निर्वाचनों में मतदाताओं की संख्या कम होती है, उनमें 'प्रकट मतदान प्रणाली' को अपनाना उपयोगी हो सकता है किन्तु ऐसे मतदान में मतदाता स्वतन्त्र व निर्भीक होकर मतदान नहीं कर पाते हैं।

'गुप्त मतदान प्रणाली' के अन्तर्गत मतदान एक मतपत्र द्वारा होता है। इसमें भी मतदान दो विधियों से किया जाता है। एक तरीके के अनुसार, मतपत्र में सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे रहते हैं। मतदाता उनमें से अपनी पसन्द के उम्मीदवारों के नामों के आगे चिन्ह बनाकर अपना मत प्रकट करके मत-पत्र को मतपेटिका में डाल